# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

## बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 17/2021/दावा 136 एलआरएक्ट

भंवर लाल पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी बिजारणियों की ढाणी, भीमा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

## दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपरिथति—

**1. श्री आनन्द राड वकील वादी की ओर सें।**

नि र्ण य दिनांक — 12.07.2021

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 919 ता 921, 925, 926 किता 5 कुल रकबा 10.10 है0 वाके ग्राम बिजारणियों की ढाणी भीमा पटवार हल्का हरिपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादी 1/202 हक हिस्से का काबिज काश्तकार है ओर अपने हक हिस्से की आराजियात पर बहैसियत मालिक काबिज काश्तकार निरन्तर रूप से चला आ रहा है। वादी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब वादी के हक में विरासत का नामान्तरण गांव परिवार के लोगों के कहे अनुसार वादी के नाम भूराराम पुत्र शिवकरण के नाम से भरकर राजस्व रिकार्ड में उसके अनुसार दर्ज करवा दिया गया, जबकि अन्य दस्तावेजात प्रार्थी का नाम भंवर लाल पुत्र शिवकरण दर्ज है, प्रार्थी को बचपन से ही भूराराम तथा भंवर लाल दोनों नामो से गांव, परिवार, रिश्तेदारों में जाना पहचाना जाता है, जबकि प्रार्थी/वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. दस्तावेज के रिकार्ड में भंवर लाल पुत्र शिवकरण नाम दर्ज है, जबकि उपरोक्त वर्णित आराजियात में उसका नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से भूराराम पुत्र शिवकरण दर्ज आ रहा है, जो कि गलत है, इसलिए वाद में वर्णित आराजियात में वादी/प्रार्थी का सही नाम भंवर लाल पुत्र शिवकरण उदघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से भंवर लाल पुत्र शिवकरण के स्थान पर भूराराम पुत्र शिवकरण दर्ज हो गया जो गलत है, प्रस्तुत दस्तावेज पंचायत के प्रमाण पत्र से प्रमाणित है कि वादी/प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम भंवर लाल पुत्र शिवकरण है, जो सही व दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु प्रार्थी/वादी तहसील कार्यालय दांतारामगढ में गया तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया। तथा वादी का नाम आधार कार्ड के अनुसार जमाबन्दी में नहीं होने

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

की वजह से वादी सरकारी सहायता व योजनाओं को प्राप्त करने से वंचित रह रहा है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 919 ता 921, 925, 926 किता 5 कुल रकबा 10.10 है0 वाके ग्राम बिजारणियों की ढाणी भीमा पटवार हल्का हरिपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम भूराराम पुत्र शिवकरण के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम भंवरलाल पुत्र शिवकरण दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी ने स्वयं तथा अन्य सहखातेदार कानाराम पुत्र रेखाराम ने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये तथा निवेदन किया कि वादी का सही नाम भंवरलाल पुत्र शिवकरण किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम भूराराम पुत्र शिवकरण के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम भंवरलाल पुत्र शिवकरण दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वादी व सहखातेदार द्वारा पेश साक्ष्य वादी के समर्थन में शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के शपथ पत्र एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 919 ता 921, 925, 926 किता 5 कुल रकबा 10.10 है0 वाके ग्राम बिजारणियों की ढाणी भीमा पटवार हल्का हरिपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम भूराराम पुत्र शिवकरण के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम भवंरलाल पुत्र शिवकरण दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12-7-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

# अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
( Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

भवंरलाल बनाम तहसीलदार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 17 / दावा सन् 2021 निर्णय दिनांक 12-7.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री आनन्द राड़** मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर 919 ता 921, 925, 926 किता 5 कुल रकबा 10.10 है0 वाके ग्राम बिजारणियों की ढाणी भीमा पटवार हल्का हरिपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम भूराराम पुत्र शिवकरण के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर भंवरलाल पुत्र शिवकरण संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज ............ मुबलिग ............. बाबत ............ खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ............ को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12-7.2021 को जारी की गई।

मोहर दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

| मुद्दई | रुपया | पैसे | मुद्दायलह | रुपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा ... | 6 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 | स्टाम्प अर्जी ... | | |
| स्टाम्प तजस रसूल ... | -- | -- | मेहनताना वकील पर | | |
| मेहनताना वकील ... | -- | -- | खर्चा गवाहान ... | | |
| खर्चा गवाहान ... | -- | -- | फीस कमिश्नर ... | | |
| फीस कमिश्नर ... | -- | -- | बाबत इजराय हुक्मनामा ... | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा ... | -- | -- | मुतफर्रिक ... | 0 | 00 |
| मुतफर्रिक ... | 8 | 00 | | 0 | 00 |
| मीजान | 15 | 00 | मीजान | 1 | 00 |

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ